19-12-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. डाक स्टेटस पेश किये। अप्रार्थीगण, बाद तामील उपस्थित नहीं आये अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.02.25 को पेश हो।

Sd/-

17-02-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस पर प्रार्थी वकील को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली-भाँति अवलोकन किया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि विवादित आराजी का बाई मीर्-सरण्ड बाफ्ण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अत: सहखातेदारान को प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमाबाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा स्थगन आदेश दिनांक 12.09.25 को तादफैसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूलवाद हो।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०